रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21072022-237416
CG-DL-E-21072022-237416

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 518] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 21, 2022/आषाढ़ 30, 1944
No. 518] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 21, 2022/ASHADHA 30, 1944

इलैक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2022

सा.का.नि. 591(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (राजभाषा काडर में समूह 'क' और समूह 'ख पद) भर्ती नियम, 2017 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, (राजभाषा काडर में समूह 'क' और समूह 'ख पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2022 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे

2. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (राजभाषा काडर में समूह 'क' और समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2017 की अनुसूची में, -

(क) संयुक्त निदेशक (रा.भा.) के पद से संबंधित क्रम संख्याक 1 के सामने ,-

(i) स्तंभ (6) के टिप्पण में, "जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख प्रभाग " के स्थान पर "संघ राज्यक्षेत्र लद्दाख" शब्दों को रखा जाएगा ;

(ii) स्तंभ (11) की विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात्:-

" **प्रोन्नति**:

वेतन मैट्रिक्स में स्तर -11 (67,700-2,08,700 रू) में उपनिदेशक (रा.भा.) में से, जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष तक नियमित सेवा की हो ।

प्रतिनियुक्ति :

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत्त निकायों के ऐसे अधिकारी,-

(क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में सदृश पद धारण किया हुआ है ; या

(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर -11 (67,700-2,08,700 रू) में पांच वर्ष तक नियमित सेवा की हो; और

(ख) स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित किये गए अनुभव और शैक्षिक अर्हताएं रखता हो ।

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी,जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किये जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(ख) उप –निदेशक (रा.भा.) के पद से संबंधित क्रम संख्याक 2 के सामने ,-

(i) स्तंभ (6) के टिप्पण में , "जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख प्रभाग " के स्थान पर "संघ राज्यक्षेत्र लद्दाख" शब्दों को रखा जाएगा ;

(ii) स्तंभ (11) की विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों को रखा जाएगा, अर्थात :-

''**प्रोन्नति**:

सहायक निदेशक (रा.भा.) वेतन मैट्रिक्स में स्तर -10 (56,100-1,77,500 रू) में उस श्रेणी में पांच वर्ष तक नियमित सेवा की हो ।

प्रतिनियुक्ति :

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत्त निकायों के ऐसे अधिकारी, -

(क)(i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है ; या

(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर -10 (56,100-1,77,500 रू) में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और

(ख) स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित किये गए अनुभव और शैक्षिक अर्हताएं रखता हो ।

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी,जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किये जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(ग) सहायक निदेशक (रा.भा.) के पद से संबंधित क्रम संख्याक 3 के सामने ,-

(i) स्तंभ (6) के टिप्पण में , "जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख प्रभाग" के स्थान पर "संघ राज्यक्षेत्र लद्दाख'' शब्दों को रखा जाएगा;

(ii) स्तंभ (9) की विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों को रखा जाएगा, अर्थात :-

"सीधी भर्ती और प्रोन्नति करने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष";

(iii) स्तंभ (11) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात :-

''**प्रोन्नति**:

वेतन मैट्रिक्स में स्तर -7 (44,900-1,42,400 रू) के ऐसे ज्येष्ठ अनुवादक जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्षों की नियमित सेवा की हो ।

प्रतिनियुक्ति :

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत्त निकायों के ऐसे अधिकारी, जो,-

(क)(i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या

(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर -7 (44,900-1,42,400 रू) में तीन वर्षों की नियमित सेवा की हो ; और

(ख) स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित किये गए अनुभव और शैक्षिक अर्हताएं रखता हो।

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी,जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किये जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(घ) ज्येष्ठ अनुवादक के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 4 के सामने,-

(i) स्तंभ (6) के टिप्पण में , "जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख प्रभाग " के स्थान पर "संघ राज्यक्षेत्र लद्दाख" शब्दों को रखा जाएगा ;

(ii) स्तंभ (11) में, -

(अ) ''प्रोन्नति'' शीर्षक के अधीन, "अनुमोदित'' के स्थान पर "नियमित'' शब्द रखा जाएगा;

(आ) "टिप्पण 1'' का लोप किया जाएगा ;

(इ) ''प्रतिनियुक्ति'' शीर्षक के अधीन केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के अधीन ऐसे अधिकारी'' के स्थान पर '' केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत्त निकायों के ऐसे अधिकारी'' शब्दों को रखा जाएगा ;

(ड.) कनिष्ठ अनुवादक के पद के क्रम संख्यांक 5 के सामने, टिप्पण (6) में, "जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख प्रभाग'' के स्थान पर "संघ राज्यक्षेत्र लद्दाख" शब्दों को रखा जाएगा;

[फा. सं. 1(4)/2021 पी III]

भुवनेश कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 26 मई, 2017 द्वारा अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 520(अ), तारीख 3 मई, 2017 में प्रकाशित किए गए थे ।

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th July, 2022

G.S.R. 591(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Ministry of Electronics and Information Technology (Group 'A' and Group 'B' posts in Official Language Cadre) Recruitment Rules, 2017, namely:-

1. (1) These rules may be called the Ministry of Electronics and Information Technology (Group 'A' and Group 'B' posts in Official Language Cadre) Recruitment (Amendment) Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Electronics and Information Technology (Group 'A' and Group 'B' posts in Official Language Cadre) Recruitment Rules, 2017 in the Schedule,-

(a) against serial number 1 relating to the post of Joint Director (OL),-

(i) in column (6), in the Note, for the words "Ladakh Division of Jammu and Kashmir State", the words "Union territory of Ladakh" shall be substituted;

(ii) in column (11), for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-

"Promotion:

From amongst Deputy Director (OL) in Level-11 in the pay matrix (Rs. 67,700- 2,08,700/-) with five years' regular service in the grade.

Deputation:

Officers from the Central Government or State Governments or Union territory Administration or Public Sector Undertakings or Autonomous bodies,-

(a) (i) holding analogous posts on regular basis in parent cadre or Department; or

(ii) with five years regular service in Level -11 in the pay matrix (Rs. 67,700-2,08,700); and

(b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).

Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years.

Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be 'not exceeding fifty six years' as on the closing date of receipt of applications." ;

(b) against serial number 2 relating to the post of Deputy Director (OL),-

(i) in column (6), in the Note, for the words "Ladakh Division of Jammu and Kashmir State", the words "Union territory of Ladakh" shall be substituted;

(ii) in column (11), for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-

"Promotion:

From amongst Assistant Director (OL) in Level-10 in the pay matrix (Rs. 56,100- 1, 77,500/-) with five years' regular service in the grade.

Deputation:

Officers from the Central Government or State Governments or Union territory Administration or Public Sector Undertakings or Autonomous bodies,-

(a) (i) holding analogous posts on regular basis in parent cadre or Department; or

(ii) with five years regular service in Level -10 in the pay matrix (Rs. 56,100-1,77,500); and

(b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).

Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years.

Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be 'not exceeding fifty six years' as on the closing date of receipt of applications." ;

(c) against serial number 3 relating to the post of Assistant Director (OL),-

(i) in column No (6), in the Note, for the words "Ladakh Division of Jammu and Kashmir State", the words "Union territory of Ladakh" shall be substituted;

(ii) in column (9), for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-

"Two years for direct recruits and promotees." ;

(iii) in column (11), for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-

"Promotion:

From amongst Senior Translator in Level-7 in the pay matrix (Rs. 44,900- 1, 42,400/-) with three years' regular service in the grade.

Deputation:

Officers from the Central Government or State Governments or Union territory Administration or Public Sector Undertakings or Autonomous bodies,-

(a) (i) holding analogous posts on regular basis in parent cadre or Department; or

(ii) with three years regular service in Level -7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400); and

(b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).

Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be 'not exceeding fifty six years' as on the closing date of receipt of applications." ;

(d) against serial number 4 relating to the post of Senior Translator ,-

(i) in column (6), in the Note, for the words "Ladakh Division of Jammu and Kashmir State" , the words "Union territory of Ladakh" shall be substituted;

(ii) in column (11),-

(A) under the heading "Promotion" for the word "approved", the word "regular " shall be substituted;

(B) "Note 1" shall be omitted;

(C) under the heading "Deputation", for the words "Officers from the Central Government or State Governments or Union Territories or Public Sector Undertakings", the words "Officers from the Central Government or State Governments or Union Territory Administration or Public Sector Undertakings or Autonomous bodies" shall be substituted;

(e) against serial number 5 relating to the post of Junior Translator, in column (6), in the Note, for the words "Ladakh Division of Jammu and Kashmir State", the words "Union territory of Ladakh)" shall be substituted.

[F. No. 1(4)/2021-P III]

BHUVNESH KUMAR, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 26th May, 2017 *vide* notification number G.S.R. 520(E), dated the 3rd May, 2017.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2022.07.21 20:07:55 +05'30'